

वादी उपस्थित दिनांक 18/9/23 को पेश हो।

18.9.23

पत्रावली पेश हुई। वादी अनुपस्थित हुए। वादी द्वारा नोटिस अंतिम किया जो चुका है। न्यायालय दफ्त-दफ्त कर तीन आवाज लगावाई गई। बावजूद इति उपस्थित नहीं होने से जाहिर है कि वादी अपने वारंट प्रति गैर-मौजूद हैं।

अतः वादी के वारंट अदालत द्वारा फेरी के 0928 के तहत खारिज किया जाता है। निर्णय से इजलास बुनाया गया। प्रकरण फौजदारी शुद्धा होकर नम्बर से ड्रॉ है।

प्रतिभा वर्मा
IAS